सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
नव सीमा शुल्क भवन, पणंबूर, मंगलूर – ५७५०१०
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
NEW CUSTOMS HOUSE, PANAMBUR, MANGALURU – 575 010
Telephone No. 0824-2408164, **Website**: bangalorecustoms.gov.in, **Email:** commr-cusmnglr@nic.in

Computer No.: 1709048 Date: 13-10-2026

सार्वजनिक सूचना सं. 28/2026
PUBLIC NOTICE No. 28/2026

विषय/Sub: कार्गो की जाँच हेतु प्रणाली-आधारित ई-शेड्यूलिंग की शुरुआत – संबंधी /Introduction of system-based e-Scheduling for examination of cargo-reg

सभी आयातकों, सीमा शुल्क ब्रोकर्स (Customs Brokers), व्यापार जगत के सदस्यों तथा अन्य सभी हितधारकों का ध्यान आयातित कार्गो की जाँच संबंधी प्रक्रिया की ओर आकर्षित किया जाता है।/Kind attention of all Importers, Customs Brokers, members of the Trade and all other stakeholders is invited to the examination procedure for import cargo.

2 . केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा पारदर्शिता तथा व्यापार सुगमता में सुधार करने और व्यापार सुविधा में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए विभिन्न सुधार किए गए हैं। इस संबंध में, आयातित माल की भौतिक जाँच के निर्धारण हेतु ICEGATE 2.0 पर System-based Examination Application अर्थात कार्गो जाँच की ई-शेड्यूलिंग की नई व्यवस्था लागू करने के लिए परिपत्र संख्या 07/2026-सीमा शुल्क, दिनांक 01.02.2026 के माध्यम से नए उपाय शुरू किए गए हैं।/ The Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) has undertaken various reforms through leveraging technology so as to improve transparency & ease of doing business and to achieve steady improvements in trade facilitation. In this regard, Circular No. 07/2026-Customs dated 01.02.2026 has introduced new measures for improving the cargo examination process i.e. System-based Examination Application on ICEGATE 2.0 for scheduling of physical examination of imported goods (e-scheduling of Cargo Examination).

3 . ICEGATE 2.0 पर आयातित माल की भौतिक जाँच के निर्धारण हेतु System-based Examination Application (कार्गो जाँच की ई-शेड्यूलिंग) एक व्यापार सुविधा उपाय है, जिसका उद्देश्य जाँच हेतु चयनित कार्गो की जाँच प्रक्रिया में अधिक दक्षता एवं निश्चितता लाना है। इसके माध्यम से आयातक/IEC धारक तथा अधिकृत सीमा शुल्क ब्रोकर् (Customs Broker) ICEGATE के माध्यम से पंजीकृत माल की जाँच को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्धारित (Schedule), देख तथा आवश्यकतानुसार पुनर्निर्धारित (Reschedule) कर सकते हैं। साथ ही, संबंधित अधिकारी, आयातक, सीमा शुल्क ब्रोकर् तथा कस्टोडियन को प्रणाली द्वारा स्वतः अधिसूचना (System-generated notification) भेजी जाएगी।/The System-based Examination Application on ICEGATE 2.0 for scheduling of physical examination of imported goods (e-scheduling of Cargo Examination) is a trade facilitation measure designed to bring improved efficiency and certainty to the cargo selected for

examination process. It allows importers/IEC holders and authorised Customs Brokers to electronically schedule, view and reschedule examination of registered goods through ICEGATE, with automated system notifications to the concerned officer, importer, Customs broker and custodian.

i . ई-शेड्यूलिंग सुविधा की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:/Important features of the e-scheduling facility are as under:

a. जाँच स्लॉट प्रणाली द्वारा उपलब्धता के आधार पर जाँच अधिकारी को स्वतः आवंटित किए जाएंगे, जिससे अनिश्चितता एवं टाले जा सकने वाले विलंब को कम किया जा सके।/Examination slots are automatically allocated to the examining officer by the system, based on availability for reducing uncertainty and avoidable delays.

b. व्यापार जगत के हितधारक लंबित, निर्धारित तथा पूर्ण की गई जाँचों की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।/Trade can view pending, scheduled and completed examinations online.

c. जहाँ आवश्यक हो, जाँच का पुनर्निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकता है तथा संबंधित अधिकारी, आयातक, सीमा शुल्क ब्रोकर् एवं कस्टोडियन को प्रणाली द्वारा स्वतः सूचना दी जाएगी।/Rescheduling of examination, where required, can be done electronically, with system generated intimation to the concerned officer, importer, Customs broker and Custodian.

d. स्वचालित अधिसूचना के आधार पर कस्टोडियन जाँच क्षेत्र में माल को पहले से रखने की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे कार्गो के सुचारु संचालन में सुविधा होगी।/Based on automated notification, Custodians can plan placement of goods in the examination area in advance, facilitating smoother cargo handling.

ii. ई-शेड्यूलिंग सुविधा एक पारदर्शी एवं नियम-आधारित प्रणाली के रूप में कार्य करती है, जिसमें प्रणाली द्वारा उत्पन्न ऑडिट ट्रेल तथा जाँच की स्थिति की दृश्यता उपलब्ध रहती है।/The e-scheduling facility operates in a transparent and rule-based manner, with system-generated audit trails and visibility of examination status.

iii. जाँच का पुनर्निर्धारण (Rescheduling), जाँच को होल्ड पर रखना अथवा किसी जाँच को शेड्यूल से हटाना केवल प्रभारी सहायक आयुक्त/उपायुक्त द्वारा, अभिलेख पर दर्ज उचित एवं न्यायसंगत कारणों के आधार पर ही किया जाएगा।/ Rescheduling, placing examination on hold, or removal of an examination from the schedule shall be permitted only by the Assistant/Deputy Commissioner in charge, with recorded and justifiable reasons.

4. इसके अतिरिक्त, ICEGATE द्वारा निम्नलिखित दो एडवाइजरी जारी की गई हैं (जिनकी प्रतियाँ संलग्न हैं): /Further, ICEGATE has issued two advisories as mentioned below (copy of advisories enclosed):

i. **दिनांक 05.02.2026 की परामर्शिका – आयातकों एवं अधिकृत सीमा शुल्क अभिकर्ताओं हेतु एग्ज़ामिनेशन आवेदन संबंधी परामर्शिका।/ Advisory dated 05.02.2026 - Advisory - Examination Application for Importers and Authorized Custom Brokers -**

यह एप्लिकेशन व्यापार जगत को पंजीकृत आयातित माल की जाँच को सुविधाजनक रूप से निर्धारित/पुनर्निर्धारित करने तथा निर्धारित जाँचों को देखने की सुविधा प्रदान करता है। जाँच निर्धारण के

अनुरोधों की सूचना जाँच प्रक्रिया से जुड़े सभी संबंधित हितधारकों को दी जाएगी। कस्टोडियन इस एप्लिकेशन का उपयोग निर्धारित जाँचों की पहचान करने तथा आयातित माल को शीघ्रता से जाँच क्षेत्र में लाकर रखने के लिए कर सकते हैं।/ This application enables trade to conveniently schedule/reschedule examination of registered imported goods and view their scheduled examinations. The examination scheduling requests would be notified to the stakeholders in the examination ecosystem. Custodians can use the application to identify scheduled examinations, thereby quickly locating and placing the imported goods in the Examination Area.

ii. **दिनांक 20.02.2026 की परामर्शिका – एग्ज़ामिनेशन आवेदन संबंधी परामर्शिका – सीमा शुल्क अधिकारी मॉड्यूल के संबंध में।/Advisory dated 20.02.2026- Advisory for Examination Application – Customs Officer Module –**
इस मॉड्यूल का उपयोग करते हुए सहायक आयुक्त/उपायुक्त की भूमिका वाले सीमा शुल्क अधिकारी निर्धारित जाँच अनुरोधों को देख सकते हैं तथा उपलब्धता के आधार पर अनुरोधों में संशोधन कर उन्हें किसी अन्य जाँच अधिकारी को आवंटित कर सकते हैं। वे जाँच को पुनर्निर्धारित कर सकते हैं अथवा बिल ऑफ एंट्री को जाँच शेड्यूल से हटा सकते हैं। आवंटित जाँच अधिकारी जाँच को पूर्ण अथवा अपूर्ण के रूप में दर्ज कर सकता है तथा जाँच में लगे समय में संशोधन भी कर सकता है।/By using this module, Customs officers with the role of the Assistant/Deputy Commissioner can view the scheduled requests; modify the requests by assigning them to a different examiner based on availability; reschedule examinations or remove Bill(s) of Entry from the examination schedule. The assigned examiner can mark the examination as complete or not complete; can modify the time taken for conducting an examination.

5. संबंधित हितधारकों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना है:/The following is the procedure to be followed by the concerned stakeholders:

A. <u>सीमा शुल्क ब्रोकर् / आयातक / व्यापार प्रतिनिधि Customs Brokers / Importers / Trade Representatives:</u>

i. आयातित माल/कंसाइनमेंट की जाँच के निर्धारण/पुनर्निर्धारण के अनुरोध ICEGATE Examination Application के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।/Requests for scheduling/rescheduling of examination of imported goods/consignments can be submitted through the ICEGATE Examination Application.

ii. सीमा शुल्क ब्रोकर्/आयातक यह सुनिश्चित करेगा कि ICEGATE के माध्यम से जाँच निर्धारित करते समय सही Bill of Entry विवरण तथा Custodian/CFS Code का चयन किया गया हो।/The Customs Broker/Importer is required to ensure that the correct Bill of Entry details and Custodian/CFS Code are selected while scheduling examination through ICEGATE.

iii. जहाँ आवश्यक हो, जाँच के पुनर्निर्धारण हेतु अनुरोध ICEGATE Examination Application के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।/Requests for rescheduling, wherever required, may be submitted through the ICEGATE Examination Application.

B. <u>कस्टोडियन/CFS /Custodians/CFS:</u>

i. आयातित माल/कंसाइनमेंट को ICEGATE के माध्यम से उत्पन्न जाँच शेड्यूल के

अनुसार खोजकर जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।/Imported goods/consignments may be located and placed for examination in accordance with the examination schedules generated through ICEGATE.

ii. कस्टोडियन/CFS यह सुनिश्चित करेंगे कि सीमा शुल्क द्वारा जाँच सुचारु रूप से संपन्न कराने हेतु संबंधित हितधारकों के साथ आवश्यक समन्वय किया जाए।/Custodians/CFS are required to ensure coordination with the concerned stakeholders for facilitation of smooth conduct of examination by Customs.

C. <u>सीमा शुल्क अधिकारी /Customs Officers:</u>

i . संबंधित उपायुक्त/सहायक आयुक्त, Import Docks यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित Custodian/CFS Codes के विरुद्ध सीमा शुल्क जाँच अधिकारियों की उचित Mapping ICEGATE Examination Application के माध्यम से की गई हो।/The Deputy Commissioner/Assistant Commissioner, Import Docks concerned is to ensure proper mapping of Customs Examining Officers against the respective Custodian/CFS Codes through the ICEGATE Examination Application.

ii. आयातित कंसाइनमेंट की जाँच ICEGATE Examination Application के माध्यम से आवंटित सीमा शुल्क जाँच अधिकारी द्वारा ही की जाएगी।/Examination of imported consignments is to be conducted by the Customs Examining Officer assigned through the ICEGATE Examination Application.

iii. स्थानांतरण, अवकाश, अनुपस्थिति अथवा अन्य प्रशासनिक आवश्यकताओं की स्थिति में, जहाँ आवश्यक समझा जाए, ICEGATE Examination Application के माध्यम से लिंक अधिकारी अथवा किसी अन्य उपलब्ध अधिकारी को जाँच पुनः आवंटित की जा सकती है अथवा जाँच का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है।/In cases involving transfer, leave, absence or administrative exigencies, reassignment to the link officer or any other available officer or rescheduling through the ICEGATE Examination Application may be carried out, wherever considered necessary.

iv. ऐसे मामलों में जहाँ जाँच वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में किया जाना आवश्यक हो, यह सुनिश्चित किया जाए कि जाँच समयबद्ध रूप से संपन्न कराने के लिए उचित समन्वय किया जाए।/In cases where examination is required to be conducted under the supervision of senior officers, proper coordination shall be ensured so that the examination is carried out in a timely manner.

6. सभी हितधारकों एवं संबंधित अधिकारियों को उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करना तथा समय-समय पर DG Systems द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।/All stakeholders and officers concerned are required to adhere to the above procedure and comply with the instructions issued by DG Systems from time to time.

7. उपर्युक्त निर्देशों के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आवश्यक कार्रवाई हेतु उसे अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया जाए।/Difficulties, if any, in implementation of the above instructions may be brought to the notice of the undersigned for necessary action.

8. यह सार्वजनिक सूचना (Public Notice) मंगलूरु सीमा शुल्क आयुक्तालय के सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अनुपालन हेतु स्थायी आदेश (Standing Order) के रूप में मानी जाएगी।/This Public Notice is to be treated as Standing Order for compliance by all officers and staff concerned

in Mangalore Customs Commissionerate.

संलग्न/Encl.: ऊपरोक्त अनुसार/As above.

Digitally signed by
ABILASH K SREENIVASAN
Date: 13-10-2026
12:07:02

आयुक्त/Commissioner
मंगलुरु सीमा-शुल्क/Mangaluru Customs

Copy to:

1. सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त, बेंगलुरु सीमा शुल्क क्षेत्र /The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Customs Zone.
2. न्यू मैंगलोर पोर्ट प्राधिकरण, पनंबूर।/The New Mangalore Port Authority, Panambur.
3. M/s. JSW कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, पनंबूर।/M/s. JSW Container Terminal Private Limited, Panambur.
4. सीमा शुल्क के उपायुक्तसहायक आयुक्त/, EDI — इस सार्वजनिक सूचना को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।/The Deputy/Assistant Commissioner of Customs, EDI - with a request to upload this Public Notice on the official website.
5. नोटिस बोर्ड।/Notice Board.
6. कार्यालय प्रति।/Office Copy.